283/25

न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-3, अलवर

पीठासीन अधिकारी : ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील संख्या- 281/2025

सी.आई.एस नंबर- 283/2025

1. राजनेश पुत्र लिज्जाराम निवासी अकबरपुर [अलापुर की पहाडी] पुलिस थाना अकबरपुर जिला अलवर राजस्थान

....अभियुक्त-अपीलान्ट

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिए लोक अभियोजक, अलवर

...रेस्पोर्डेट

"दाण्डिक अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 22.08.2025 न्यायालय अति० सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 अलवर, पीठासीन अधिकारी सोनल मिश्रा, आर.जे.एस. बउन्वान सरकार बनाम राजनेश, प्र.सं. 261/2023, अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम"

उपस्थिति:-

1. श्री जयदीप यादव, विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से।

2. श्री अजीत यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

-निर्णय- **दिनांक:- 16.06.2026**

1. यह हस्तगत अपील अपीलार्थी-अभियुक्त **राजनेश** द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2 अलवर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 261/2023 बअनुवान सरकार बनाम राजनेश , अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पारित निर्णय **दिनांकित 22.08.2025** के विरूद्ध माननीय सेशन न्यायाधीश, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गईं, जो विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. उक्त हस्तगत अपील में विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 261/2023 सरकार बनाम राजनेश में पारित निर्णय **दिनांक 22.08.2025** में अपीलार्थी को अपराध अंतर्गत धारा

16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर निम्न दंड से दंडित किया गया-

क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	अपराध धारा	सजा	अदम अदायगी
1.	राजनेश	16/54राज0 आबकारी अधि0	तीन वर्ष के कठोर कारावास व बीस हजार रूपये अर्थदंड	अदम अदायगी अर्थदंड बीस दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास

जिससे व्यथित होकर न्यायालय के समक्ष हस्तगत अपील पेश की गयी ।

3. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.07.2023 को प्रभुदयाल प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल अलवर पश्चिम बहमराह श्री रणवीर सिंह सिपाही व रामानंद सिपाही मय जाब्ता के थाना हाजा से रवाना होकर रैड गश्त करते हुए अलापुर पहाडी नट बस्ती के पास पहुंचे तो एक आदमी एक प्लास्टिक के बडे जरीकेन पर आम रासते पर बैठा दिखाई दिया । जो बावर्दी जाब्ता गाडी को देखकर जरीकेन छोडकर भागने लगा । जिसको शक होने पर गाडी दौडाकर उसके नजदीक रोककर जाब्ते की मदद से भागकर पकड लिया । प्लास्टिक जरीकेन बाबत पूछा तो हथकड शराब भरी होना बताया । नाम पता पूछा तो राजनेश निवासी अकबरपुर [अलापुर की पहाडी] थाना अकबरपुर होना बताया। मौके पर इकट्ठा हुए लोगों में से मौके की कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनाने चाहे तो सभी ने कानूनी कार्यवाही में नहीं पडना कहकर मना कर दिया। जिससे जाबते में से रणवीर सिंह व रामानंद सिपाही को गवाह मामूर कर रूबरू गवाहान के प्लास्टिक जरीकेन क्षमता 50 के.जी बरंग नीला के ढक्कन को खोलकर देखा, सूंघा व गवाहान को दिखाया , सुंघाया तो तेज हथकड की बू आई । जिसमें करीब 52 लीटर अवैध हथकड शराब बरामद हुयी । जिसमें से नमूना सैम्पल निकाला जाकर हथकड शराब प्लास्टिक जरीकेन को मार्का ए व नमूना सैम्पल पव्वे को मार्का ए 1 देकर गवाहान की हस्ताक्षरी चिटों से सीलचिट मोहर कर कब्जेराज लिया । फर्द जब्ती, फर्द गिरफतारी व घटनास्थल का नक्शा मौका गवाहान के समक्ष तैयार कर मौके की समस्त कार्यवाही मौके पर पूर्ण कर गवाहान को दिखाया, पढाया व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये । सील्डशुदा शराब मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम के वापिस थाना हाजा पहुंचे । अतः कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया ....इत्यादि ।

4. उक्त रिपोर्ट पर एफ.आई.आर.सं. 31/23-24 अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त को पृथक से धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप सुनाये व समझाये गये, जिसे सुन समझकर आरोप से इंकार कर अंवीक्षा चाही।

5. साक्ष्य अभियोजन में विचारण न्यायालय में निम्न गवाह परीक्षित कराये गये-

कम संख्या	गवाह संख्या	गवाह का नाम व साक्ष्य प्रकृति
1.	पी डब्ल्यू 1	प्रभुदयाल
2	पी डब्ल्यू 2	रणवीर सिंह
3	पी डब्ल्यू 3	योगेन्द्र कुमार
4	पी डब्ल्यू 4	रामानंद

साक्ष्य अभियोजन में विचारण न्यायालय में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये-

कम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी 1
2	फर्द जब्ती 52 लीटर अवैध हथकड शराब	प्रदर्श पी 2
3	फर्द गिरफतारी मुलजिम	प्रदर्श पी 3
4.	नक्शा मौका, फर्द जब्ती व बरामदगी	प्रदर्श पी 4
5.	पत्र प्रहराधकिारी आबकारी निरोधक दल	प्रदर्श पी 5
6.	एफएसएल जमा रसीद	प्रदर्श पी 6
7.	परीक्षण प्रतिवेदन	प्रदर्श पी 7
8.	मालखाना रजिस्टर की प्रति	प्रदर्श पी 8
9.	मूल मूवमेंट पंजिका	प्रदर्श पी 9 व पी 10
10.	मूवमेंट पंजिका की प्रति	प्रदर्श पी 9ए व पी 10ए

6. अभियुक्त को धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया तो उसने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा ।

7. दौराने बहस अपीलार्थी-अभियुक्त के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और परिवादी व अनुसंधान अधिकारी एक ही व्यक्ति हैं। गवाहों ने विरोधाभासी साक्ष्य दी है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का उचित विवेचन नहीं किया है। अतः विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाए तथा अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जाए ।

8. जबकि इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया तथा तर्क दिया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का उचित दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके विधिसम्मत निर्णय पारित

किया है, जिसमें कोई अवैधता व त्रुटि नहीं है । अतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाये तथा विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाए।

9. बहस उभय पक्ष की सुनने, पत्रावली व विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रकरण मे **गवाह पी डब्ल्यू 1 परिवादी प्रभुदयाल है और उक्त गवाह अनुसंधान अधिकारी है। तथा गवाह पी डबल्यू 2 रणवीर सिंह, पी डब्ल्यू 4 रामानंद है जो परिवादी प्रभुदयाल के साथ जाब्ते में गये थे और घटना के चश्मदीद गवाह हैं।** उक्त तीनों गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि दिनांक 10.07.2023 को मय जाब्ता के रवाना होकर रैड गश्त करते हुए अलापुर की पहाडी नट बस्ती के पास पहुंचे तो आम रासते पर एक आदमी प्लास्टिक का बडा सा जरीकेन पर बैठा दिखाई दिया जो बावर्दी जाब्ते को देखकर भागने लगा । जिसे शक के आधार पर जाब्ते की मदद से घेरा देकर पकडा और उससे जरीकेन में भरे तरल पदार्थ के बारे में पूछा तो उसमें हथकड शराब भरी होना बताया । शख्स से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजनेश बताया । शख्स के कब्जे में मिली जरीकेन की तलाशी हेतु मौके पर इकट्ठा हुए लोगों को स्वतंत्र गवाह बनाना चाहा लेकिन कानूनी पेचीदगीवश किसी के भी गवाह नहीं बनने पर जाब्ते से ही सिपाही रणवीर सिंह व रामानंद को गवाह मामूर कर जरीकेन का ढक्कन खोलकर देखा सूंघा और गवाहान को भी दिखाया सूंघाया तो रंग गंध के आधार पर करीब 52 लीटर अवैध हथकड शराब भरी होना पाया ।

10. उक्त गवाहान यह भी कथन करते हैं कि बरामदशुदा हथकड शराब में से एक साफ खाली कांच के पव्वे में वास्ते रसायनिक जांच हेतु शराब भरकर सीलमोहर कर मार्का ए 1 अंकित किया । शेष शराब को उसी जरीकेन में रहने दिया जाकर सीलमोहर कर मार्का ए अंकित कर कब्जेराज लिया । शख्स को उसके जुर्म से आगाम कर जरिये फर्द गिरफतार किया । मौके की कार्यवाही पूरी कर जब्तशुदा माल मय मुलजिम को लेकर वापिस थाना आए । जब्तशुदा माल को सीलबंद अवस्था में जमा मालखाना किया । मुलजिम को बाद तलाशी बंद हवालात किया । आरोपी राजनेश के विरूद्ध मुकदमा नंबर 31/23-24 धारा 16/54 राजस्थान आबाकरी अधिनियम में दर्ज किया ।

11. गवाह पी डब्ल्यू 1 प्रभुदयाल यह भी कथन करता है कि चाक एफआईआर प्रदर्श पी 1 है जिसकी पुश्त पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द जब्ती करीब 52 लीटर अवैध हथकड शराब प्रदर्श पी 2 है। जिस पर ए से बी उसके, सी से डी मुलजिम राजनेश, ई से एफ, जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर अंकित हैं। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द गिरफतारी मुलजिम राजनेश प्रदर्श पी 3 है। नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 4 है। जिन पर ए से बी उसके, सी से डी मुलजिम राजनेश के , ई से एफ व जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये गये । नमूना सेम्पल तहरीर प्रदर्श पी 5 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। एफएसएल की असल जमा रसीद प्रदर्श पी 6 है। जिस पर ए से बी उसके, सी से डी एफएसएल वाहक योगेन्द्र के हस्ताक्षर अंकित हैं।

एफएसएल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। असल मालखाना प्रदर्श पी 8 है। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 8ए है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। असल कर्मचारी मूवमेंट पंजिका प्रदर्श पी 9 व पी 10 है। जिनकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 9ए व पी 10ए है। जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट किता कर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय के समक्ष पेश की गयी । चार्जशीट की पुश्त पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

12. गवाह पी डब्ल्यू 2 रणवीर सिंह व पी डब्ल्यू 4 रामानंद यह भी कथन करते हैं कि फर्द जब्ती अवैध हथकड शराब प्रदर्श पी 2, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 3, नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 4 पर ई से एफ रणवीर सिंह व जी से एच रामानंद के हस्ताक्षर हैं।

13. जिरह में भी उक्त तीनों गवाह इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करते हैं और स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि वह घटनास्थल पर पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने जब्ती बनायी थी और जब्ती के बाद गिरफ्तारी बनायी थी । तथा वहां कोई स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ इसलिए पुलिस के ही स्वतंत्र गवाह बनाये गये थे ।

14. इस संबंध में अपीलार्थी अभियुक्त अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह है । तो अभियुक्त के अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यदि स्वतंत्र गवाह, गवाह बनने से इंकार कर दे तो पुलिस को भी गवाह बनाया जा सकता है। और पुलिस भी एक सक्षम साक्षी है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **गिरिजा प्रसाद v/s मध्यप्रदेश राज्य (2007) 7 s.c.c. 625 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि** "पुलिसकर्मी उतने ही विश्वसनीय साक्षी हैं जितने कि अन्य साक्षीगण। पुलिस कर्मियों की साक्ष्य को इस आधार पर खारिज नही किया जा सकता है कि वे पुलिस कर्मी है।"

15. उक्त गवाहान अपनी जिरह में यह भी स्वीकार करते हैं कि उनके सामने ही घटना का नक्शा मौका अभियुक्त की गिरफ्तारी आदि तैयार की गयी थी और अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नि को दे दी गयी थी । इस प्रकार उक्त तीनों गवाह अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में अभियुक्त से शराब की बरामदगी के संबंध में स्पष्ट रूप से साक्ष्य देते हैं।

16. **गवाह पी डबल्यू 3 योगेन्द्र कुमार** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 20.07.2023 को वह ईपीएफ अलवर पश्चिम में सिपाही के पद पर कार्यरत था । उस दिन पीओ प्रभुदयाल ने मुकदमा नंबर 31/23-24 धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का जब्तशुदा एक नमूना सैम्पल पव्वा हथकड शराब मार्का ए 1 अंकित किया हुआ सीलबंद अवस्था में वास्ते एफएसएल में जमा कराने हेतु मालखाने से निकालकर उसे दिया । उसने उसी दिन उक्त सैम्पल पव्वे को सीलबंद अवस्था में एफएसएल में जमा कराकर असल जमा रसीद प्राप्त की जो प्रदर्श पी 6 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर

हैं। वापसी पर जमा रसीद पीओ साहब को पेश की । उक्त सैम्पल मालखाने से लेकर एफएसएल में जमा कराने तक सीलबंद अवस्था में उसकी अभिरक्षा में रहा।

17. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि वह पव्वे के सैम्पल लेकर गया था और रोडवेज बस से गया था । इस प्रकार उक्त गवाह एफएसएल माल ले जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से साक्ष्य देता है।

18. अतः विचारण न्यायालय ने उपरोक्त समस्त साक्ष्य का समग्र विवेचन करने के उपरांत विधि अनुरूप एवं तथ्यात्मक रूप से सही निष्कर्ष निष्पादित किया है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को **धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम** के आरोप में की गयी दोषसिद्धि की सीमा तक पुष्टि किये जाने योग्य है।

आदेश

19. अतः **अपीलार्थी-अभियुक्त राजनेश पुत्र लिज्जाराम निवासी अकबरपुर [अलापुर की पहाडी] पुलिस थाना अकबरपुर जिला अलवर राजस्थान** को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय **दिनांकित 22.08.2025** में **धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम** के आरोप में की गयी दोषसिद्धि की सीमा तक पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाता है।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

दण्डादेश के बिन्दु पर

20. अपीलार्थी-अभियुक्त के अधिवक्ता ने दण्डादेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त वर्ष 2023 से अंवीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त को पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया गया है तथा ना ही परिवीक्षा का लाभ दिया गया है । अतः अपीलार्थी-अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोडा जावे।

21. अपर लोक अभियोजक ने अपीलार्थी-अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का विरोध किया।

22. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी-अभियुक्त वर्ष 2023 से अंवीक्षा भुगत रहा है । **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी पेश किया है कि अभियुक्त को पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया गया है तथा ना ही पूर्व में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया है।** अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए दण्डादेश के बिन्दु पर यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलार्थी-अभियुक्त को **धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम** के अपराध में तत्काल किसी कारावास से दण्डित करने के स्थान पर उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित दृष्टिगत होता है।

<u>दण्डादेश</u>

23. अतः **अपीलार्थी-अभियुक्त राजनेश पुत्र लिज्जाराम निवासी अकबरपुर [अलापुर की पहाडी] पुलिस थाना अकबरपुर जिला अलवर राजस्थान** की ओर से दण्डादेश के प्रश्न पर यह अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाकर दण्डादेश के प्रश्न पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य **निर्णय दिनांक 22.08.2025** के द्वारा पारित दण्डादेश अपास्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि **अपलार्थी-अभियुक्त** को **धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम** के आरोप में दोषी पाये जाने पर उसे तत्काल किसी कारावास से दंडित नहीं कर अपलार्थी-अभियुक्त को परिवीक्षा आधिनयिम की धारा 4 [1] के तहत परिवीक्षा पर छोडा जाना न्यायोचित प्रतीत होना मानते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी-अभियुक्त परिवीक्षा अधिनयिम की धारा 4 [1] के तहत 10,000/-रूपये का स्वयं का बंध पत्र व इसी राशि का जमानतनामा दो वर्ष की अवधि के लिए विद्वान विचारण न्यायालय में आज से **<u>दो माह</u>** के अंदर इन शर्तों का पेश कर तस्दीक करावे कि वह इस अवधि में शांति व सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दण्डादेश प्राप्त करेगा। साथ ही अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत **7,000/-रूपये [अक्षरे सात हजार रूपये]** भी बतौर अभियोजन व्यय अधिरोपित किये जाते हैं। जिसे वह विद्वान विचारण न्यायालय में आज से **<u>दो माह</u>** के अंदर जमा करावे तो

अपीलार्थी/अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोडा जावे अन्यथा विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित दण्डादेश यथावत लागू माना जावेगा ।

यदि विचारण न्यायालय में अभियुक्त ने अर्थदंड के रूप में कोई राशि जमा करायी है तो वह धारा 5 के तहत अभियोजन व्यय के रूप में मानी जाएगी और उसे उक्त राशि में समायोजित किया जाए ।

24. निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली संबंधित न्यायालय को अविलंब लौटाई जावे ।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

25. निर्णय आज दिनांक 16.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर